

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरक्षण




मु0न0 : 60/2018 (2018/00074)

1. पृथ्वीसिंह पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) मृतक
1/1 पलवन्ती उर्फ कलावती पत्नी स्व0 पृथ्वीसिंह जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
1/2 विमला पुत्री स्व0 पृथ्वीसिंह जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
1/3 सरोज पुत्री स्व0 पृथ्वीसिंह जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
1/4 सुमन पुत्री स्व0 पृथ्वीसिंह जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
1/5 सुनील कुमार पुत्र स्व0 पृथ्वीसिंह जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
1/6 कमलेश पुत्री स्व0 पृथ्वीसिंह जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
1/7 सुशीला पुत्री स्व0 पृथ्वीसिंह जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. लिलावती पुत्री सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. बिस्मति देवी पुत्री सोहनलाल पत्नी मानसिंह जाति बिश्नोई निवासी मैन बस स्टेण्ड के पीछे, विश्वकर्मा धर्मशाला के पास, ऋषिनगर हिसार
3. सन्तरोदेवी पुत्री सोहनलाल पत्नी नरसीराम जाति बिश्नोई निवासी मैन बस स्टेण्ड के पीछे, विश्वकर्मा धर्मशाला के पास, ऋषिनगर हिसार
4. कृष्णा देवी पुत्री सोहनलाल पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी रूपाणा बिश्नोईयान तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
5. चेताराम पुत्र कानाराम जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) मृतक
5/1 महेन्द्रसिंह पुत्र चेताराम जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5/2 धर्मपाल पुत्र चेताराम जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5/3 पवन कुमार पुत्र चेताराम जाति बिश्नोई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)


उपखण्डाधिकारी (राजस्थ,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

6. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता तकरगीम

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बर बिनाय जमाबन्दी हाल एवं दीगर साक्ष्य अन्य।

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र गोयल एवं संदीप गोदारा

; वादीगण

वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : प्रतिवादी सं० 1

निर्णय


दिनांक : 21/9/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वाद भूमि की बाबत दिनांक 30.06.2015 को प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी की गई थी तथा तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया था। तहसीलदार राजस्व भादरा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पक्षकारान की ओर से कोई एतराज/आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी दिनांक 12.12.2015 को डिक्री किया गया जिसकी पालना में नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया था।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर पृथ्वीसिंह के विधिक प्रतिनिधि पलवंती व उसके पुत्र सुनिल कुमार द्वारा उक्त निर्णय को राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अपील संख्या 105/2016 प्रस्तुत की गई थी जिस पर सुना जाकर दिनांक 24.11.2017 को अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.12.2015 व संशोधित आदेश दिनांक 08.02.2016 को निरस्त किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया गया कि उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अंतिम डिक्री पारित करें। तत्पश्चात पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिया गया एवं पक्षकारान की तलबी की जाकर पक्षकारान को सुना गया एवं तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 में विहिन प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया। जिस पर तहसीलदार राजस्व भादरा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुना गया। दिनांक 11.08.2021 को उभय पक्ष अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट की।

अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद कृषि भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी :-

1. ओमप्रकाश वल्द सोहनलाल, सुनिल कुमार वल्द पृथ्वीसिंह ब०हि०ब० कौम बिश्नोई सा० झांसल खातेदार : चक 2 सीएचएन के खाता सं० 58 के मु०नं० 55 के किला नं० 1/1 की 0.202 है० किला नं० 2/3 की 0.506 है० किला नं० 9 की 0.253 है० किला नं० 10/1 की 0.202 है० किला नं० 11/1 की 0.202 है० किला नं० 12 की 0.253 है० किला नं० 17/2 की 0.013 है० किला


उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

नं० 19 की 0.202 है० किला नं० 20/1 की 0.202 है० किला नं० 21/3 की 0.013 है० किला नं० 24/1 की 0.227 है० कित्ता 12 कुल क्षेत्रफल 2.275 है० नहरी खाता सं० 72 के मु०नं० 56 के किला नं० 19 की 0.126 है० किला नं० 22 की 0.253 है० कित्ता 2 क्षेत्रफल 0.379 है० नहरी चक 2 जेएसएल के खाता सं० 8 के मु०नं० 51 के किला नं० 2 की 0.253 है० किला नं० 3/1 की 0.051 है० किला नं० 8/1 की 0.051 है० किला नं० 9 की 0.253 है० किला नं० 12 की 0.253 है० किला नं० 13/1 की 0.051 है० कित्ता 6 कुल क्षेत्रफल 0.912 है० नहरी चक 4 सीएचएन के खाता सं० 54 के मु०नं० 17 के किला नं० 4/1 की 0.029 है० किला नं० 5 व 6 की 0.506 है० कित्ता 3 का कुल क्षेत्रफल 0.535 है० नहरी

चारों खातों का योग - 4.101 है०, नहरी 4.0784 है० रास्ता 0.0226

2. रविकुमार वल्द राजेन्द्र व राजेन्द्र वल्द सोहनलाल जाति बिश्नोई सा. झांसल खातेदार राहिन राजेन्द्र हिस्सा एसबीआई शाखा मूर्ति चौक भादरा : चक 2 सीएचएन के खाता सं० 107 मु०नं० 53 के किला नं० 24/3 की 0.082 है०, किला नं० 25 की 0.253 है० जिसमें नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० मु०नं० 54 के किला नं० 4/3 की 0.082 है० किला नं० 5 व 6 की 0.506 है० किला नं० 7/3 की 0.082 है० किला नं० 14/3 की 0.082 है० किला नं० 15 व 16 की 0.506 है० किला नं० 17/3 की 0.082 है० किला नं० 24/3 की 0.034 है० किला नं० 25/1 की 0.076 है० मु०नं० 55 के किला नं० 1/2 की 0.051 है० किला नं० 10/2 की 0.051 है० किला नं० 11/2 की 0.051 है० किला नं० 20/2 की 0.051 है० किला नं० 21/1 की 0.038 है० कुल कित्ता 17 रकबा 2.027 है० नहरी 2.002 है० खाला 0.025 है० खाता सं० 58 के मु०नं० 55 के किला नं० 16/2 की 0.051 है० किला नं० 24/2 की 0.013 है० किला नं० 25 की 0.253 है० कित्ता 3 कुल क्षेत्रफल 0.317 है० नहरी


खाता सं० 72 मु०नं० 56 के किला नं० 20/1 की 0.101 है० किला नं० 24 की 0.253 है० कित्ता 2 कुल क्षेत्रफल 0.354 है० नहरी

चक 2 जेएसएल के मु०नं० 51 के किला नं० 4/1 की 0.013 है० कित्ता 1 रकबा 0.013 है० नहरी

चारों खातों का योग - 2.711 है० नहरी 2.686 है० खाला 0.025 है०

3. बिस्पति पुत्री सोहनलाल 55/56 हिस्सा कृष्णा पुत्री सोहनलाल 1/56 हिस्सा जाति बिश्नोई सा० झांसल खातेदार राहिन बिस्पति हिस्सा एसबीओपी शाखा भादरा : चक 2 जेएसएल के खाता सं० 85 के मु०नं० 51 के किला नं० 3/2 की 0.202 है० किला नं० 4/2 की 0.240 है० किला नं० 7 की 0.253 है० किला नं० 8/2 की 0.202 है० किला नं० 13/2 की 0.202 है० किला नं० 14 की 0.253 है० कित्ता 6 रकबा 1.352 है० नहरी

4. सन्तरो पुत्री सोहनलाल जाति बिश्नोई सा० झांसल खातेदार : चक 4 सीएचएन के खाता सं० 97 मु०नं० 17 के किला नं० 4/2 की 0.224 है० किला नं० 7 की 0.253 है० किला नं० 14 की 0.253 है० कित्ता 3 रकबा 0.730 है० नहरी


उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिता-हनुमानगढ़)

चक 2 सीएचएन के खाता सं० 107 मु०नं० 53 के किला नं० 24/2 की 0.114 है० मु०नं० 54 के किला नं० 4/2 की 0.114 है० किला नं० 7/2 की 0.114 है० किला नं० 14/2 की 0.114 है० किला नं० 17/2 की 0.114 है० किला नं० 24/2 की 0.054 है० किता 6 रकबा 0.624 है०
दोनों खातों का योग - 1.354 है०

5. धर्मपाल, महेन्द्रसिंह, पवन कुमार पि० चेताराम कोम विश्नोई सा० झांसल खातेदार राहिन एसबीआई शाखा छानीबड़ी : चक 2 सीएचएन के खाता सं० 47 के मु०नं० 53 के किला नं० 21 ता 23 की 0.759 है० किला नं० 24/1 की 0.057 है० मु०नं० 54 के किला नं० 1 ता 3 की 0.759 है० किला नं० 4/1 की 0.057 है० किला नं० 7/1 की 0.057 है० किला नं० 8 ता 13 की 1.518 है० किला नं० 14/1 की 0.057 है०, किला नं० 17/1 की 0.057 है० किला नं० 18 ता 20 की 0.759 है० किला नं० 21 की 0.240 है० किला नं० 22 की 0.190 है० किला नं० 23 की 0.139 है० किला नं० 24/1 की 0.038 है० किता 24 कुल क्षेत्रफल 4.687 है० नहरी

चक 2 सीएचएन के मु०नं० 56 के किला नं० 19 में 0.006 है० व किला नं० 22 में 0.013 है० रास्ता उत्तर से दक्षिण पूर्वी दिशा में एवं चक 2 जेएसएल के मु०नं० 51 के किला नं० 2 में उत्तरी पूर्वी कोने में 0.0006 है० व किला नं० 3/1 के उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम 0.003 है० रास्ता एवं चक 2 जेएसएल के मु०नं० 51 के किला नं० 3/2 के उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम 0.010 है० रास्ता स्वीकृत किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन भूमि यथावत् दर्ज रखा जावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जाकर पक्षकारान का खाता व लगान अलग अलग कायम किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/9/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले

दफ्तर में सुनाया गया।



(शकुन्तला चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
उपखण्ड अधिकारी
भदरा (जिला-हनुमानगढ़)
भदरा, जिला हनुमानगढ़